

## प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 17.11.2022

### दहेज उत्पीड़न व जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोप में एक अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के प्रवेक्षण में थानाध्यक्ष सहजनवा के नेतृत्व में उ०नि० सुशील सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त राजीव कुमार गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता निवासी बरईपार बाजार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को दहेज उत्पीड़न व जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोप में एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 521/2022 धारा 147/323/324/307/504/506/498 ए भादवि व 3/4 डी०पी० एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव कुमार गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता निवासी बरईपार बाजार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

#### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 521/2022 धारा 147/323/324/307/504/506/498 ए भादवि व 3/4 डी०पी० एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

#### बरामदगी:-

एक अदद नाजायज चाकू

#### गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी:-

- 1- उ०नि० सुशील सिंह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
- 2- हे०का० राकेश सिंह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
- 3- का० इन्द्रजीत यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर